रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092022-238900
CG-DL-E-16092022-238900

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4173]	**नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 16, 2022/भाद्र 25, 1944**
No. 4173]	**NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 16, 2022/BHADRA 25, 1944**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2022

सं. 33 /2015–2020

विषयः आरबीआई ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 10 दिनांक 11 जुलाई, 2022 के समकालिक विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत पैरा 2.54 (घ) को शामिल करना।

का.आ. 4357(अ).—समय–समय पर यथा–संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आरबीआई के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 10 दिनांक 11 जुलाई, 2022 के समकालिक विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.52 'निर्यात संविदाओं का डिनॉमिनेशन' के अंतर्गत उप–पैरा (घ) को शामिल करती हैः–

पैरा 2.52 (घ) को निम्नानुसार भाामिल किया जाता हैः

(घ) आरबीआई के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 10 दिनांक 11 जुलाई, 2022 के अंतर्गत निर्यात एवं आयात का बीजक बनाना, भुगतान और निपटान भी भारतीय रुपए में अनुमत है। तदनुसार, भारतीय रुपए में व्यापार सौदों का निपटान विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियमन 2016 के विनियम 7(1) के तहत यथा अनुमत भारत में प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैकों द्वारा खोले गए विशेष रुपया वोस्ट्रो खातों के माध्यम से भी निपटान निम्नलिखित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा सकता हैः–

(i) इस तंत्र के माध्यम से आयात करने वाले भारतीय आयातक भारतीय रुपए में भुगतान करेंगे जिसे विदेशी विक्रेता/आपूर्तिकर्ता से वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति हेतु बीजक के लिए साझेदार देश के तदनुरुपी बैंक के विशेष वोस्ट्रो खाते में क्रेडिट किया जाएगा।

(ii) इस तंत्र के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करने वाले भारतीय निर्यातकों को साझेदारी देश के तदनुरुपी बैंक के नामित विशेष वोस्ट्रो खाते में शेष राशि से भारतीय रुपए में निर्यात–लाभ का भुगतान किया जाएगा।

इस अधिसूचना का प्रभाव: आरबीआई के ए.पी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 10 दिनांक 11 जुलाई, 2022 के समकालिक भारतीय रुपए में निर्यात और आयात का बीजक बनाने, भुगतान और निपटान को अनुमत करने के लिए पैरा 2.52 (घ) को अधिसूचित किया गया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/93/180/32/एएम–19/पीसी–II(बी)/पार्ट–I/ई–21759]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2022

No. 33 /2015-2020

Subject: Insertion of Para 2.54(d) under the Foreign Trade Policy in sync with RBI A.P.(DIR Series) Circular No.10 dated 11th July 2022.

S.O. 4357(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby inserts sub-para (d) under Para 2.52 'Denomination of Export Contracts' of the Foreign Trade Policy in sync with the RBI's A.P. (DIR Series) Circular No.10 dated 11th July, 2022:

Para 2.52(d) is introduced as under:

(d) Invoicing, payment and settlement of exports and imports is also permissible in INR under RBI's A.P.(DIR Series) Circular No.10 dated 11th July, 2022. Accordingly, settlement of trade transactions in INR may also take place through the Special Rupee Vostro Accounts opened by AD banks in India as permitted under Regulation 7(1) of Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016, in accordance to the following procedures:

(i) Indian importers undertaking imports through this mechanism shall make payment in INR which shall be credited into the Special Vostro account of the correspondent bank of the partner country, against the invoices for the supply of goods or services from the overseas seller /supplier.

(ii) Indian exporters, undertaking exports of goods and services through this mechanism, shall be paid the export proceeds in INR from the balances in the designated Special Vostro account of the correspondent bank of the partner country.

Effect of this Notification: Para 2.52(d) is notified, to permit Invoicing, payment and settlement of exports and imports in INR in sync with RBI's A.P. (DIR Series) Circular No. 10 dated 11th July, 2022. This shall come into force with immediate effect.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/93/180/32/AM-19/P.C.II(B)/PART.I/E-21759]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.09.16 22:47:22 +05'30'